यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

प्रकरण सख्या : 2/2018

1. उर्मिला कंवर बेवा मृतक युवराजसिंह
2. ज्योतसना
3. डोली
4. ळीना
5. मोहित सिंह
6. प्रवीण सिंह

(2 से 6) पिसरान मृतक युवराज

(1 से 6) जाति राजपूत निवासीगण मूण्डली(भैरूजी) तह0 मांगरोल जिला बारां

7. देवराज सिंह
8. मंजू कंवर
9. रामसिंह
10. भूपेन्द्र सिंह
11. चन्द्र कंवर

(7 से 11) पिसरान मृतक रोशनसिंह जाति राजपूत निवासीगण मूण्डली(भैरूजी) तह0 मांगरोल जिला बारां

12. बहादुर सिंह पुत्र प्रतापसिंह जाति राजपूत निवासी मूण्डली तह0 मांगरोल
13. प्रेम कंवर पुत्री प्रतापसिंह जाति राजपूत निवासी मूण्डली तह0 मांगरोल

....अपीलान्ट

♠ बनाम ♠

ग्राम पंचायत जलोदा तेजाजी तह0 मांगरोल जिला बारां जर्ये सरपंच साहब ग्राम पंचायत जलोदा तेजाजी तहसील मांगरोल जिला बारां (राज0)

....रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध इन्तकाल नं0 367 ग्राम भोज्याहेडी

तह0 मांगरोल दिनांक 05.10.2017

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रमोद कुमार सिंधव (आरएएस)
वकील वादीगण : श्री महेन्द्र सिंह हाडा
निर्णय दिनांक : 07.03.2018
दायरा दिनांक: 15.02.2018

अपीलान्ट कम 1 ता 13 ने इस न्यायालय में अपील पेश कर निवेदन किया कि ग्राम पंचायत जलोदा तेजाजी तह0 मांगरोल ने इंतकार नं0 367 दिनांक 05.10.2017 गलत रूप से तस्दीक कर दिया है, कार्यालय ग्राम पंचायत महुआ तह0 मांगरोल के द्वारा जारी वारिस प्रमाण पत्र के अनुसार इंतकाल तस्दीक नही किया गया है क्योकि चन्द्र कंवर, मंजू कंवर पुत्रियों युवराज सिंह देवराज सिंह रामसिंह भूपेन्द्र सिंह पुत्रान रोशन सिंह दर्ज किया जाना चाहिऐ था, क्योकि यह सभी रोशन सिंह के वारिस है। युवराज सिंह की मृत्यु हो चुकी है, इसलिए उनके स्थान पर उर्मिला कंवर पत्नि स्व0 युवराज सिंह ज्योत्सना, डोली, रीना पुत्रिया मोहित सिंह, प्रवीण सिंह पुत्रान युवराज सिंह दर्ज किया जाना चाहिऐ था, तथा बहादुर सिंह,

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

के नाम दुबारा इंतकाल दर्ज करने का कोई औचित्य नही है, इनका नाम जमाबंदी में पहले से ही चला आ रहा है।

इस आशय की अपील प्रस्तुत होने पर दिनांक 15.02.2018 को प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। रेस्पोडेन्ट को तलब किया गया है रेस्पोडेन्ट ने स्वयं उपस्थित होकर स्वीकार किया कि सहवन से रोशन सिंह के स्थान पर प्रतापसिंह का नाम दर्ज हो गया है और मृतक युवराज सिंह का वारिसान की वल्दियत भी गलत दर्ज हो गई है, युवराज सिंह के स्थान पर रोशन सिंह दर्ज हो गया है, ग्राम पंचायत महुआ द्वारा जारी वारिस प्रमाण पत्र के अनुसार पुनः इंतकाल तस्दीक किया जावें।

अपील पर अपीलान्ट के अधिवक्ता को सुना गया सम्पूर्ण रिकार्ड को अध्ययन किया गया है, मृतक युवराज सिंह के वारिसान के आधार कार्ड की फोटोकॉपी देखी गई सभी की वल्दियत में पिता का नाम युवराज सिंह का नाम दर्ज हो रहा है तथा ग्राम पंचायत के द्वारा जारी वारिस प्रमाण पत्र में भी रोशन सिंह व युवराज के वारिसान अलग अलग बताये गये है तथा बहादुर सिंह पुत्र प्रताप सिंह व प्रेम बाई पुत्री प्रतापसिंह जौजे बहादुर सिंह दर्ज बताया गया है बहादुर सिंह पुत्र प्रताप सिंह व प्रेमकंवर पुत्री प्रतापसिंह जौजे बहादुर सिंह का नाम पूर्व से ही जमाबंदी में दर्ज है इनकी मृत्यु भी नही हुई है अतः इनका दुबारा इंतकाल दर्ज करने का कोई औचित्य नही है।

अतः अपील स्वीकार की जाकर इंतकाल नं0 376 दिनांक 05.10.2017 निरस्त किया जाकर इस निर्देश के साथ अपील तहसीलदार मांगरोल को लौटाया जाता है कि वारिस प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत महुआ के आधार पर पुनः इंतकाल तस्दीक किया जाकर रोशन सिंह के वारिसान की वल्दियत पुत्रान रोशन सिंह लिखा जावें व मृतक युवराज सिंह की वारिसान की वल्दियत में पुत्रान युवराज सिंह का लिखा जावे, बहादुर सिंह पुत्र प्रताप सिंह व प्रेमकंवर पुत्री प्रतापसिंह जौजे बहादुर सिंह का नाम पहले से ही जमाबंदी में दर्ज है, ग्राम पंचायत महुआ के वारिस प्रमाण पत्र की फोटो प्रति भी निर्णय की प्रति के साथ तहसीलदार मांगरोल को भेजी जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 07.03.2018 को सरेइजलास मजमेंआम में सुनाया गया